

पुनरीक्षण याचिका कमाक /2016

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र.

निज 3541-138-16

पुनरीक्षण आवेदक की ओर से :-

रमेशचन्द्र पिता महावीर प्रसाद अग्निहोत्री
आयु 60 वर्ष, धंधा कृषि निवासी- कोद
तहसील बदनावर जिला धार

— आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन

उमाशंकर पिता दुर्गाशंकर त्रिवेदी
निवासी क्षिप्रा जिला देवास

3. राजबिहारी पिता कृष्णकान्त अग्निहोत्री
निवासी कोद तहसील बदनावर

— अनावेदक

पुनरीक्षण धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

महोदय,


यह पुनरीक्षण अधिनस्थ विद्वान न्यायालय तहसीलदार
बदनावर द्वारा राजस्व सूचनापत्र कमांक 7291/री-1/2016 मे दिनांक
4/10/2016 को दिये गये सूचना पत्र एवं आदेश के विरुद्ध, को दिये गये
आलोच्य आदेश से व अपनाई गई प्रक्रिया असन्तुष्ट, अप्रसन्न होकर यह
पुनरीक्षण सविनय प्रस्तुत है कि :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3571 -पीबीआर/16

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-11-2016	<p>आवेदक की ओर से श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । उनकी ओर से यह निगरानी तहसीलदार द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 38 के अंतर्गत जारी सूचना पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । यह निगरानी इस निर्देश के साथ समाप्त की जाती है कि आवेदक तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत करें ।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>